हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 12 अंक : 7 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुलाई, 2021

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू (27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

PHED में सामान्य पदों पर, जातिगत दबाव में आकर अविधिक रूप से पदोन्नति देने की कवायद

जातिगत राजनीति के चलते न्यायपालिका की अवमानना के विरूद्ध समता आन्दोलन का विरोध

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने पी.एच.ई.डी. में जातिगत आधार पर न्यायपालिका की अवमानना करते हुये सामान्य पदों पर, जातिगत दबाव में आकर अविधिक रूप एससी-एसटी को पदोन्नति देने के लिए की जा रही कवायद का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिख कर घोर विरोध किया है।

मुख्यमंत्री एवं सभी विधायकों को लिखे पत्र में निवेदन किया गया है कि जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में इंजीनियरिंग संवर्ग में सामान्य पदों पर एससी-एसटी को पदोन्नति नहीं देने का निर्णय पिछले वर्ष सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा दिनांक 09.10.2020 को दिया गया है। यह निर्णय संवैधानिक प्रावधानों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और राजस्थान सरकार की अधिसूचनाओं की पालना में दिया गया है।

हमारी जानकारी के अनुसार सचिवालय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिकृत प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (विधि) से राय लेने के बाद इस प्रकरण में "No Appeal" का निर्णय भी हो चुका है। फिर भी लम्बे समय से DPC नहीं हो पा रही है ।

हमारी जानकारी में यह भी आया है कि अजा/अजजा वर्ग के कुछ विधायकों ने आप श्रीमान पर जातिगत दबाव बनाकर श्रीमान मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2021 को एक बैठके बुलाई गयी थी ताकि उक्त विधिसम्मत "No Appeal" के निर्णय को बदलकर आगे अपील करवाकर इस प्रकरण को उलझाया जा सके। इस प्रकार से जातिगत दबाव में आकर किये गये अविधिक निर्णय आप द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यो को गौण बनाते हैं तथा आपकी सरकार की छवि की धूमिल करते हैं। प्रदेश के करीब पाँच करोड़ (72 प्रतिशत) से अधिक सामान्य, ओबीसी वर्ग के मतदाताओं के मन में आप श्रीमान की प्रतिष्ठा एक कमजोर और जातिवादी शासक के रूप में बनती है।

पत्र में प्रार्थना की गई कि अविधिक, असंवैधानिक, न्याय-पालिका की अवमानना करने वाला एवं सरकार की छवि धूमिल करने वाले निर्णय करने से रोका जावे।।

राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण द्वारा संवैधानिक प्रावधानों, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और राजस्थान सरकार की अधिसूचनाओं की पालना करवाने वाले निर्णय दिनांक 09.10.2020 के प्रकाश मे PHED में लम्बित DPC's तत्काल करवाई जावें।

पत्र की प्रति सभी सम्मानीय विधायकों को भेजकर अनुरोध किया गया है कि अविधिक, असंवैधानिक और न्यायपालिका की अवमानना करने वाला निर्णय करने से रोका जावे।

गृह सचिव भल्ला पर हो सकती है अवमानना की कार्यवाही

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश का कथित उल्लंघन के मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के पूर्व सचिव व फिलहाल गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को समाप्त करने से इनकार कर दिया है। एक अक्टूबर 2020 से 24 जनवरी 2021 के बीच भल्ला के पास डीओपीटी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार था।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ से कहा, अवमानना याचिका में तथ्यों का छुपाने के प्रयास किया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि केवल अस्थायी और तदर्थ पदोन्नति की गई थी। लिहाजा आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को आरोपमुक्त किया जाना चाहिए।

वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि भल्ला फिलहाल गृह सचिव हैं। मेरे सुझाव पर अस्थायी और तदर्थ पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया था। हालांकि, शीर्ष कोर्ट ने उनकी दलीलों को अस्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले पर अगस्त के दूसरे सप्ताह में विस्तार से सुनवाई होगी।

अधिक अंक होने पर भी चयन में नही किया शामिल

जयपुर । अधीनस्थ अदालतों के लिए आयोजित चालक भर्ती-2020 में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के सामान्य वर्ग से अधिक अंक होने के बाद भी भर्ती में शामिल नहीं किया गया। जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता दीपक शर्मा के भर्ती परीक्षा में 75 अंक आए हैं, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 76 अंक तय की गई है। सामान्य पुरूष वर्ग की कट ऑफ 68 अंक जारी की। सामान्य वर्ग से अधिक अंक होने के बावजूद भी उसको सामान्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा रहा है। याचिका में सेवा नियम, 2017 के प्रावधान को चुनौती देते हुए कहा गया कि नियम में वर्गवार मेरिट लिस्ट बनाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन वर्गवार मेरिट लिस्ट भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के बाद बनानी चाहिए। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के अंतिम चरण के बजाए लिखित परीक्षा का परिणाम ही वर्गवार निकाल दिया । जिसके चलते आरक्षण के प्रावधानों की अनदेखी हुई है। जिस पर न्यायाधीश संगीतराज लोढा और न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस दिया।

जलदाय विभाग में संघर्ष की जीत

जयपुर। जलदाय विभाग के चार चीफ इंजीनियर पोस्ट पर हो रही डीपीसी पर विवाद सीएमओ तक पहुंच गया है। विभाग में एससी कैटेगरी का रोस्टर नहीं होने का बहाना कर सीनियर होने के बावजूद एडिशनल चीफ इंजीनियर सोहनलाल साल्वी, देवराज सोलंकी व हुकमचंद वर्मा के बजाए एसीई मनीष बेनीवाल व अन्य को चीफ इंजीनियर बनाने की तैयारी है। जबकि बेनिवाल एक साल पहले ही एसीई बने हैं।

आरोप है कि प्रमोशन के लिए विभाग की प्रशासनिक शाखा (सचिवालय) ने कुछ इंजीनियरों की ऑडिट-जांच को गुपचुप ड्रॉप कर दिया । विभाग के एसीएस सुधांश पंत का कहना है कि डीपीसी नियमानुसार होगी तथा हमारे पास सभी इंजीनियरों का रिकॉर्ड है। डीपीसी चार सीई के लिए होगी। संदीप शर्मा पहले ही एडहॉक चीफ इंजीनियर बना चुके है, उनको नियमित करना है।

आरएएस भर्ती:15 गुना से अधिक चयनित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग में नियुक्ति क्यों: हाईकोर्ट

जयपुर। आरएएस भर्ती की मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग के पदों की संख्या के पन्द्रह गुना से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने पूछा है कि इन्हें अंतिम चयन में अनारक्षित पदों पर नियुक्ति कैसे दी गई हैं? कोर्ट ने इन पदों पर दी नियुक्तियों को अन्तरिम मानते हुए याचिका के निर्णयाधीन रखा है। याचिकाकर्ता मनीष अवस्थी व अन्य के अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि राज्य सरकार ने आरएएस भर्ती नियमों में वर्ष 2020 में संशोधन किया, जो 2013 से लागू हुआ। संशोधन के अनुसार मुख्य परीक्षा में आरक्षित वर्ग के लिए तय की गई सीटों के पन्द्रह गुणा अभ्यर्थियों से अधिक बुलाए गए अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में आरक्षित वर्ग में ही नियुक्ति दी जा सकती है। याचिका में कहा गया कि इस संशोधन नियम की अनदेखी कर राज्य सरकार ने इन अभ्यर्थियों के सामान्य वर्ग से अधिक अंक आने के आधार पर अनारक्षित पदों पर चयन कर लिय। जबकि इन्हें मुख्य परीक्षा में ही इसी शर्त के साथ शामिल किया गया था कि इनका अंतिम चयन आरक्षित पदों पर ही किया जाएगा।

अध्यक्ष की कलम से

परोपकार बनाम जनहित

साथियो।

भारतीय सांस्कृतिक मनीषा के मूल पुरूष महर्षि वेदव्यास ने परोपकार को ही धर्म माना है जो लोकतंत्र की भाषा में जनहित है। समता आन्दोलन की सारी कार्यप्रणाली समता मूलक होने के साथ ही जनहित भी है। जनहित भी ऐसा जो बिना किसी का अहित किये पूरा होता है। इस दृष्टि से देखें तो साथियों हम सबका समर्पण का पुरूषार्थ सरकारों और संसद से बड़ा है। सरकारों/संसद ने जाति आरक्षण के नाम पर संविधान की आत्मा पर बार-बार चोट की है।

हालांकि देश की बड़ी अदालतों ने बार-बार समता आन्दोलन के पुरूषार्थ को मान्यता दी है लेकिन सरकारों और संसद ने उसे बदल कर हमेशा एक पक्ष को न्याय देने के नाम पर दूसरे पक्ष के साथ अन्याय किया है। लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया है। हमारे द्वारा प्राप्त अदालती निर्णय लागू करवाने में अन्य प्रदेशों में सक्रिय आरक्षण विरोधी गुटों ने सरकारी प्रक्रिया को अपनाते हुए दूसरों को नुकसान पहुँचाकर अपना हित साधा है। यह बदले की भावना का प्रकटीकरण है। हमने ऐसा नहीं करके संवैधानिक शुचिता का मान बढाया है।

बेशक, समता आन्दोलन की जड़ें जाति आरक्षण को तर्कसंगत बनाकर सर्वजनहिताय का आदर्श अपनाया गया है लेकिन दूसरी तरफ कोरोना काल में आयुर्वेद की पुनर्प्रतिष्ठा घरेलू महिलाओं को कामगार का दर्जा दिलवाना, वृक्षारोपण जैसे जनहित के बड़े विषयों पर भी पूरे मनोयोग से काम किया है।

साथियों बरसात का मौसम है। आप सभी से आग्रह है कि पौधे लगाये और उन्हें पालकर पेड़ बनाएं । यह सबसे बड़ा जनहित है। हमारी योजना में पीपल बन और अमराई लगाना शामिल है। आप जो चाहे वो पौधा लगाये और भविष्य बचायें। जय जनहित। जय समता।

सम्पादकीय

''अंतिम सांसे लेता जाति आरक्षण''

जाति आधारित आरक्षण मात्र इसलिये अनुचित नहीं कहा जा सकता कि कथित सवर्ण इसका विरोध करते हैं। तथ्य ये हैं कि स्वयम डॉ भीमराव अम्बेडकर इस व्यवस्था के विरोधी थे बल्कि प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने इसे आने वाले समय में देश के लिये एक अभिशाप घोषित किया था।

संविधान लागू होने के 70 साल बाद यदि सरकारों द्वारा देश का समूचा उत्पादक ढांचा शनैः शनैः निजि हाथो में सौंपा जा रहा है तो सीधी सी बात है कि जाति आरक्षण का संवैधानिक प्रयोग फेल हो चुका है। जातिवाद खत्म होने के बजाय उसका सम्पूर्ण सरकारीकरण हो चुका है जो वर्तमान में पार्टीवाद का प्रभावी उपकरण बन चुका है। अब ये तथ्य किसी को प्रभावित नहीं करता कि देश की रेल्वे में संडास साफ करने वाले 63 प्रतिशत कर्मचारी कथित सवर्ण है। ब्राह्मणों के एकाधिकार वाले शिक्षा क्षेत्र से उनका लगभग सफाया हो चुका है। न्यायपालिका ने इस विषय पर परस्पर विरोधाभासी इतने निर्णय दिये हैं कि सही गलत की पहचान नहीं रह गई है।

जब तक नेहरू और कांग्रेस का शासन रहा तब तक इस समस्या का स्वरूप सरकारी रहा। 1990-91 में वी.पी.सिंह सरकार के समय जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, वैसे ही जातिआधारित आरक्षण का व्यक्तिकरण शुरू हो गया जिसने मायावती, कांशीराम रामविलास पासवाल, उदित राज जैसे अनेक जातिवादी नेताओं को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित किया । इन नेताओं के कारण जाति आरक्षण क्षेत्रीय दलों के उदय का मूल हेतु बना। त्याग, तपस्या और जनसेवा के बलपर नेता बनने की प्रक्रिया जातिवाद ने भिन्न-भिन्न कर दी। शीघ्र ही जातिवादी नेताओं की क्षेत्रीय पार्टियाँ उनकी निजि मिल्कियत बन गई। इसका बुरा प्रभाव राष्ट्रीय पार्टियों पर भी पड़ा और जैसे क्षेत्रीय दल जातिवाद के बलपर आगे बढे कि लोकतंत्र बदलकर पार्टीतंत्र के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा।

काल की गति किसी की मित्र नहीं होती। तब के हालात आज ऐसे बदले हैं कि जातिवादी नेताओं की भूमिका अब पार्टियाँ निभाने लगी हैं। उदित राज को सत्ता की नागिन ने ऐसा डसा कि वे जिंदा तो हैं लेकिन निष्क्रिय बनकर रह गये हैं। रामविलास पासवान के धरती छोड़ते ही उनकी पार्टी भिन्न-भिन्न हो गई । मायावती की अस्थिर विचारणा और पैसा-प्रतिष्ठा की भूख उन्हें ले बैठी । यही हालत दूसरे जातिवादी नेताओं की हुई। आज पूरे भारत में दलित नेतृत्व का अकाल है। ले-देकर नये नेता के रूप में चन्द्रशेखर ''रावण'' का नाम कभी-कभार सुनाई भर देता है लेकिन विश्वसनीयता पैदा नहीं करता है। मांझी, राजभर जैसे लोग अपने दम पर दस कदम भी चलने की सामर्थ्य नहीं रखते है।

भारत जैसा देश अपनी परम्पराओं में सांस्कृतिक समन्वय और मानवीय गरीमा का अद्भूत एक्य रखकर चलता आया है। यहाँ हर इन्सान दूसरे इन्सान की गरिमा को बचाये रखना अपना कर्तव्य मानता था। लेकिन कई शताब्दियों की गुलामी से उपजी निराशा ने सबकुछ गड्डमड्ड कर दिया। उसी का परिणाम है जातिवादी आरक्षण का जहर जिसकी आज देश को आवश्यकता नहीं है। यह देश खुद संकेत देने लगा है।

तो क्या जाति आरक्षण के दिन समाप्त हो चुके हैं? इस प्रश्न का तात्कालिन उत्तर तो हाँ में ही है लेकिन पार्टीतंत्र के कारण अभी इसे पूरी तरह समाप्त नहीं माना जा सकता है। फिर भी प्रबल संभावना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जातिवाद से मुक्त होगा। ईश्वर करें कि ऐसा ही होवे।

जय समता

- योगेश्वर झाड़सरिया

दलित चिंतन में ठहराव!!

क्या देश के दलित आन्दोलन और विमर्श में एक ठहराव आया है? हिंदी क्षेत्र में दलित आन्दोलन कभी जोर नहीं पकड़ सका और साहित्यिक विमर्श एक विलंबित मामला रहा है। फिलहाल लगता है कि उसमें फुले, अंबेडकर और दलित पैंथर्स के दौर की न ऊचाइयां बन पा रही हैं और न अर्थवान तीखापन है। बुद्ध, तिरूवल्लुवर, बसवण्णा, कबीर, गुरूग्रंथसाहिब, फुले, अंबेडकर की परंपराएं जैसे फिर ठहर गई हैं। यह वैश्वीकरण के दौर में नव-आर्थिक वर्गारोहण और धार्मिक पुनरूत्थानवाद के दबाव का नतीजा हो सकता है। यह भी संभव है कि छोटी-छोटी घृणाओं को एक बड़ी घृणा ने निगल लिया हो। घृणा के उत्सव में अंततः यही होता है, विचारों की दुनिया में तर्क पर उत्तेजनात्मक बातें भारी पड़ जाती हैं। अंततः सबसे अधिक घृणा करनेवाला, सबसे बड़ा अतार्किक ही दिग्विजयी होता है।

किसी समय दलित विचारों के संसार में शिक्षा के असर से अंधविश्वासों और निर्बुद्धिपरकताओं के उन्मूलन पर जोर था, जीवन की कृत्रिमताओं और खुदगर्जी से मुक्ति की बेचैनी थी और दलित स्त्री की मुक्ति का प्रश्न भी प्रधान था। उसमें राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए प्रश्न थे। अब शिक्षा का वैसा असर नहीं है। इसलिए दलित चिंतन में नए द्वारा नहीं खुल पा रहे हैं, बल्कि अधिकाधिक आत्मसंकुचन और दलित आवाज का होमोजीनियम होते जाना एक चिंताजनक मामला बनता जा रहा है। फिर भी यदि कोई बड़ा सच है तो वह है अवमानना की आग, जिसमें भारत के दलित हजारों साल से जलते रहे हैं। और आज भी जल रहे हैं। वे आज भी भीषण अत्याचारों की दुनिया से बाहर नहीं लाए जा सके हैं। उनके जीवन में आधुनिकीरण का जितना भी प्रवेश हुआ हो या नए अवसर जितने सुलभ हुए हों, आम दलित अब भी बेहाल हैं।

डूबते का तिनके का सहारा ढूढते हुए मगरमच्छ पकड़ना

सामाजिक न्याय एक बड़ी अवधारणा है। सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई का अर्थ विलंबित न्याय हासिल करने के अलावा जाति प्रथा, धार्मिक कट्टरता और बहुराष्ट्रीय व्यापारिक साम्राज्यवाद के विरोध तक जाता है। सामाजिक न्याय का ही एक रूप सभी मनुष्यों के प्रति प्रेम है। यह राजनीतिक मोलभाव, प्रति-घृणा और चंद व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं में बंद चीज नहीं है। सामाजिक सौहार्द बढ़ाने की जगह हर पांच साल पर जाति समीकरण बदल लेना सामाजिक न्याय नहीं है। कई बार डूबते हुए लोग तिनके का सहारा ढूंढते-ढूंढते मगरमच्छ पकड़ लेते हैं! एक तरह से देखा जाए तो दलितों का आन्दोलन फिर सैकड़ों साल पीछे चला गया है। कई बार सिर्फ अपने समुदाय के लिए लड़ना अनजाने अपने ही विरूद्ध लड़ना हो जाता है। बल्कि अपने लोगों के अलावा बाकी को 'दूसरा' समझने की प्रवृति औपनिवेशिक परियोजना की सफलता है। इधर 'अछूत' की एक विपदजनक की कैटेगरी बनी है- जो 'दूसरा' या 'असहमत' है वह अछूत है! अब अपने को दलितों का हितचिंतक साबित करने की राजनीतिक होड़ में भी कमी नहीं है। फिर भी आज प्रेमी युगल हैं जो मुसीबतें उठाकर जाति तोड़ रहे हैं, अन्यथा जाति आज सर्वव्यापक रूप से स्वार्थप्रेरित तात्कालिक राजनीति का हथियार है। इस बिगड़ें माहौल में दलित युवा आज भी एक बड़ी आशा हैं। काफी विद्यार्थी हैं जो रूढियों से बाहर निकलकर अपने और अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। ऐसे शांतिप्रिय और प्रगतिकामी व्यक्तियों की कमी नहीं है, जो धर्मों और जातियों के छाते को बड़े-छोटे अपराधियों के राजनीतिक शरणस्थल के रूप में देख रहे हैं। नव-उदारीकरण के इस दौर को भी समझने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आरक्षण के अवसर सीमित हो चुके हैं। एक तरह से सभी चिंतनशील शांतिप्रिय लोग उद्विग्न हैं, किंकर्तव्यविमूढ़ता में नई राहें खोजते हुए।

शायद बहुत-से बुद्धिजीवी अब ऐसे इकहरे मूल्यांकनों से बाहर निकल रहे हैं कि दलितों की मुक्ति सिर्फ हिंन्दु धर्म की मौत में है। कांचा इलैया (पोस्ट-हिंदु इंडिया) सोचना चाहिए, धर्म इस तरह नहीं मरा करते। इसलिए बाकी धर्मों की निर्बुद्धिपरकताओं पर चुप रहते हुए सिर्फ हिन्दु धर्म की मौत की कल्पना करने से ज्यादा अर्थपूर्ण है। सांप्रदायिका कट्टरताओं, कूपमंडूकता और उत्तर-सत्य से लड़ना।

दुनिया का बदलना अभी रूका नहीं है

देखा जा सकता है कि रवींद्रनाथ, प्रेमचंद और गांधी के दौर से ही जाति और धार्मिक समुदाय पर आधारित राष्ट्रवाद के विरोध का एक अटूट सिलसिला रहा है। यह भी साफ है कि आम जनमानस में बड़े पैमाने पर मौजूद जातिवाद, धार्मिक रूढियों और सामंगी निरंकुशता को आजादी के बाद दूर करने का सचेत रूप से व्यापक प्रयास नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पाला-पोसा गया। यह भी देखा जा सकता है कि एलीट बुद्धिजीवियों ने प्राचीन और नवजागरणकालीन सांस्कृतिक विरासत के प्रति उच्छेदवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया। जबकि सामाजिक भेदभाव बढ़ाने वाले निर्बुद्धिपरक संस्कारों और विश्वासों को इसी देश के उच्च सांस्कृतिक आदर्शों और महान साहित्य पर सकारात्मक चर्चा करके मिटाया जा सकता था। दरअसल अपने हजारों साल के इतिहास और संस्कृति से सृजनात्मक साझापन न रखता और उच्छेदवादी उग्रता दिखाना भूमंडलीकरण के दौर में कुछ अधिक निस्सहाय कर सकता है। भारत की बहुलता में श्रेष्ठता के काफी तत्व है। उन्हें अब भी खोजकर उपयोग में लाया जा सकता है। लेकिन आज भी देखा जाए तो दलितों पर अत्याचार को लेकर चिंता, सांस्कृतिक सुधारों और भारतीय एकता के प्रयत्नों की जगह चुनावी समीकरण के जरिए निजी शक्ति बुद्धि ही प्रधान लक्ष्य है और हर तरफ कलह बढ रहा है। देखा जाए तो आमतौर पर भारत के नेता ही भारतीय जनता की एकता और सांस्कृतिक सुधार के रास्ते मे सबसे बड़ी बाधा हैं। इसलिए चिंता होती है कि पता नहीं अतीत के प्रेत आधुनिकतम औजारों से अब और कैसे-कैसे संकट लाएंगे, मनुष्य की विवशता किस हद तक बढ़ती जाएगी और हमारे नेता कब सुधरेंगे। अंबेडकर ने यह भी कहा था, 'हम ब्राह्मणों के विरूद्ध नहीं हैं। हमारा आक्रमण ब्राह्मणवाद पर है। हमें ब्राह्मणवाद-ग्रस्त ब्राह्मणेतर आदमी दूर प्रतीत होता है और ब्राह्मणवाद रहित ब्राह्मण नजदीक लगता है।' वे देखते थे कि सभी जातियों में आजादी, समता और बंधुत्व का अभाव है । कहते थे, 'पहले भारतीय आखिर में भारतीय और भारतीयता से परे कुछ नहीं चाहिए।' (संपूर्ण वाड्मय, खंड-39)। अंबेडकर ने दलित आन्दोलन में पुरानी रूढियों और संस्कारों के विरोध के साथ सभी किस्म के भेदभावों का विरोध किया था। ऊपर के कथन से यह भी स्पष्ट है कि उनके चिंतन में 'कॉमन प्लेस' की धारणा मौजूद थी, क्योंकि सवर्ण हों या दलित-वे बदलना शुरू कर चुके थे। कैसी विडंबना है कि आज मार्केट प्लेस के बाहर कुछ भी 'कॉमन' नही है! कहना न होगा कि वर्तमान विद्वेष, खाई और बढती हिंसा के माहौल में बाजार के बाहर भी 'कॉमन प्लेस' की जरूरत है, जहां असहमत लोग भी खड़े हो सकें, सभी संवाद कर सकें और एक-दूसरे को शत्रु न समझे। ऐसा कॉमन प्लेस बनाने की जिम्मेदारी सबसे अधिक उनपर है जो विविध तरह से उत्पीड़ित हैं। यह देखना महत्वपूर्ण है कि हमारे पास क्या चीजें ज्यादा हैं- अतीत की बुरी स्मृतियां या भविष्य के बड़े स्वप्न। इसी पर निर्भर करेगा कि भारत के भावी इतिहास में अंधेरा है या उजाला। इस समय न वैश्वीकरण एक जाति और एक धर्म को लेकर चल सकता है और न लोकतंत्र एक जाति और एक धर्म को लेकर चल सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया का बदलना अभी रूका नही है। इसलिए पुरानी खाइयां और जंजीरे अंतिम सत्य नहीं हैं। - शंभुनाथ

(''वागर्थ'' सम्पादकीय का अंश)

पौराणिक कथन : 'जटायु'

हिमालय श्रृंखला का एक शैलशिखर जहाँ 19वें द्वापर के जटामाली का अवतार हुआ।

उछलकूद करने वालों को,
अब संयम सिखलाना होगा।
संविधान को भूल गये जो-
उनको पुनः पढाना होगा।।

कविता

"बोल लेखनी तनिक तो बोल"

गधे खा रहे काजू पिस्ता,
घोड़ों का नहीं कोई मोल।
है विचित्र अन्याय सरासर,
बोल लेखनी तनिक तो बोल।।
जहाँ योग्यता है उपेक्षित,
मूर्ख लोग पा रहे सम्मान,
बाग बबूलों के लगवाते,
आम कहाँ खाते मेहमान।
उन लोगों की क्या शाजिश है
कि सबका कच्चा चिटठा खोल।।
ऊपर से निकली जल धारा,
मरु धरती को तर करने को।
मगर बीच में अजगर बैठे,
अपनी ही थैली भरने को।।
दूजे का हक हड़प रहे हैं,
उनके बारे में भी बोल।।
है विचित्र अन्याय सरासर,
बोल लेखनी कुछ तो बोल।।
पिछले दरवाजे से घुसकर,
कुर्सी पर जा बैठे लोग,
नहीं योग्यता कुछ भी उनमें,
फिर भी राजाओं से भोग।।
पद की गरिमा अरु आहर्ता,
कवि इक तराजू में तू तोल।।
देख विसंगतियाँ भारत की,
जो तू चुप रह जाएगी ।
तेरा लिखना सभी व्यर्थ है,
सदियों तक पछताएगी।
तुझ में ताकत सही अर्थ है,
अपने धनुष बाण को तोल।
है विचित्र अन्याय सरासर,
बोल लेखनी कुछ तो बोल।।

- सुरेन्द्र सिंह परमार -
(सोशल मीडिया से साभार)

हमारा संविधान एक गतिशील दस्तावेज है

गतांग से आगे:-

लेकिन जब संविधान में ही इन पिछड़ों के लिए वरीयतापूर्ण प्रावधान किए गए हैं तो आखिर "हम न्यायाधीश कौन होते हैं, जो अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए प्रावधानों के औचित्य पर प्रश्न उठा सकें ? उत्तर स्पष्ट है कि न्यायालय ऐसे किसी प्रावधान को नहीं रोक सकता, जो संविधान के विरूद्ध नहीं हैं, भले उसके परिणाम कुछ लोगों के लिए दु:खद क्यों न हों।"

भविष्य के प्रति अपनी आशावादिता प्रकट करते हुए वह कहते हैं, "निस्संदेह प्रगतिवादी प्रवृति का उद्देश्य वंचित वर्ग के आधार पर वर्गीकरण होना चहिए; लेकिन अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी, सामान्यत: कहा जाए तो, निर्धन ही नहीं, बल्कि अछूत भी हैं।" लेकिन यहाँ तो वह(न्यायधीश) जैसे आत्मखंडन की प्रतिमूर्ति ही बन गए हैं- "हमारा इस मामले से कोई संबंध नहीं है. ", "यह सब दूसरे विषय में आता" है और अभी हमें उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है।"

ऐसे और भी कई तथ्य हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय को लगातार घूटे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है।" यह सच है कि जातिवाद का राजनीतीकरण, मानव क्षेत्र में उसकी घुसपैठ और आरक्षण के जरिए स्कूलों व कॉलेजों में उसकी सक्रियता-यह सब कुछ हमारे धर्मनिरपेक्षवादी स्वरूप को धूमिल करते हैं।"

माननीय न्यायाधीश कहते हैं, "रचनात्मक उपायों द्वारा अधिक सकारात्मक ढंग से समानता स्थापित करने का प्रयास विकासपरक आवश्यकता हो सकता है। लेकिन संवैधानिक प्रश्नों पर विचार करते समय न्यायिक व्यवस्था को राजनीति और प्रशासनिक विकल्पों को तब तक परे रखना चाहिए, जब तक उनका संबंध आर्थिक और सामाजिक समस्या से न हो और न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक न हो.... ।"

वही न्यायाधीश महोदय- जो कहते रहे है कि न्यायपालिका को सामाजिक क्रांति के एक माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए- अब कहते हैं, "वैकल्पिक नीतियों का चयन सरकार द्वारा किया जाना चाहिए या नहीं; उनसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की समस्याएँ दूर करने में मदद मिलती है या नहीं; इन वर्गों में दिए जाने वाले लाभ अधिक है या कम; आर्थिक दृष्टि से वंचित अन्य समूहों को अनुसूचित जाति एवं जनजाति जैसी ही सहानुभूति मिलती है या नहीं- ये और इस तरह की अन्य बातें तब तक न्यायालय की परिधि के अंतर्गत नहीं आती हैं, जब तक इनसे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं होता। और न्यायालय के लिए इस बात पर प्रश्न उठाना बहुत दूर की बात है कि संविधान-निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के प्रति अत्यधिक चिंता प्रकट की है।

> "संविधान के अधीन कार्य करना हमारा उद्देश्य है और जब संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन हो रहा हो, तभी न्यायालय ऐसी सरकारी योजनाओं को असंवैधानिक करार दे सकता है, जो संविधान के भाग तीन और चार की परिधि से परे हो। यदि प्रशासन द्वारा किया जाने वाला कोई विशेष प्रावधान किसी तर्कसंगत आधार पर अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों की सीमा लांघता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे प्रावधान को समाप्त कर दे।"

हमें ध्यान रखना चाहिए कि " न्यायालय संविधान के अधीन कार्य करता है, उसके ऊपर जाकर नहीं; वह संविधान का अर्थ-निरूपण करता है, उसका संशोधन नहीं; उसके प्रावधानों का कार्यान्वयन करता है, संवैधानिक अर्थ-निरूपण के नाम पर उन्हें प्रभावहीन नहीं बनाता.... ।"

अत: "संविधान के अधीन कार्य करना हमारा उद्देश्य है और जब संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन हो रहा हो, तभी न्यायालय ऐसी सरकारी योजनाओं को असंवैधानिक करार दे सकता है, जो संविधान के भाग तीन और चार की परिधि से परे हो। यदि प्रशासन द्वारा किया जाने वाला कोई विशेष प्रावधान किसी तर्कसंगत आधार पर अनुच्छेद 16(4) के प्रावधानों की सीमा लांघता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे प्रावधान को समाप्त कर दे।"

लेकिन, फिर भविष्य के लिए एक चेतावनी-" इसी तरह विधिक मामलों पर विचार करते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कौन सी अनिवार्यता है, जिसे कानून अकेले नहीं पूर्ण कर सकता, बल्कि उसके लिए सामाजिक अवयव के एक सदस्य के रूप में कार्य करना होता है।"

चेतावनी का एक-एक शब्द उस अवधारणा के विरूद्ध जा रहा है, जिसे माननीय न्यायाधीश स्वयं इस मामले में सिद्ध करना चाहते हैं।

शोषित कर्मचारी संघ मामला दो अन्य कारणों से भी उल्लेखनीय है। जैसा हमने देखा, बालाजी और देवदासन मामलों से ही सर्वोच्च न्यायालय कहता आ रहा था कि 50 प्रतिशत से अधिक सीटों एंव पदों का आरक्षण नहीं हो सकता। देवदासन मामले में न्यायालय ने आरक्षण के अंतर्गत अग्रसारण व्यवस्था के खिलाफ टिप्पणी दी थी, क्योंकि इससे आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से आगे बढ़ रही थी। शोषित कर्मचारी संघ मामले में उसने स्वयं ही इस सीमा को आगे बढ़ा दिया और साथ ही, स्वयं को आश्वस्त कर लिया कि यह सब पूर्व में ही दिए गए, अन्य निर्णयों ओर तर्कों के अनुरूप है। उसने कहा कि प्रतिनिधित्व की गणना किसी वर्ष विशेष के संदर्भ में नही की जाएगी। और भी, जैसा न्यायालय ने कहा, यह (आरक्षण का) अनुपात 50 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए और जब यह अनुपात 66.67 प्रतिशत हो गया और उसे चुनौती दी गई तो कहा गया कि यह 50 प्रतिशत की सीमा से ज्यादा ऊपर नहीं हैं.... ।

एक और दिलचस्प बात-शोषित कर्मचारी संघ मामले पर सुनवाई तीन न्यायधीशों की खंडपीठ कर रही थी, जिनमें से दो न्यायाधीशों ने ही उपर्युक्त टिप्पणी की थी; तीसरे न्यायाधीश-न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक- ने इस पर अपनी असहमति दर्ज की थी। लेकिन परिणाम ? दोनों न्यायाधीशों ने उस निर्देश को नीचे दबा दिया, जो देवदासन मामले में पाँच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने किया था। लेकिन उनसे कौन बहस करेगा? आखिर पाँचों न्यायाधीश तो सिर्फ दुनिया का अलग-अलग ढंग से अर्थ ही प्रस्तुत कर रहे थे, जबकि आवश्यकता दुनिया को बदलने की है।

इसी मामले में तथा इन्हीं न्यायाधीश महोदय ने रंगाचारी मामले पर पुनर्विचार संबंधी याचिका को खारिज कर दिया था। यानी कोई न्यायाधीश किसी एक मामले में बात को स्वीकार कर सकता हैं और दूसरे मामले में उसी बात पर अपनी असहमती प्रकट करके उसके अनुसार ही निर्णय को पलट सकता है। और न्यायमूर्ति तो कहते हैं कि पुनर्विचार संबंधी याचिका को खारिज करने के कारण की बात चल रही थी। रंगाचारी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय दो दशकों से सहमत रहा हैं और सरकार उसके आधार पर काररवाई भी करती रही हैं। क्या यह देवदासन मामले की तरह ही नहीं था ?" हमें इस 'आफत के पिटारे' को नहीं खोलना चाहिए।" यह सब कहना है उन्हीं न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर का, जो कई बार उस दृष्टिकोण को नया रूप देने की बात कर चुके हैं, जिसकी सहायता से संविधान को देखा जाना चाहिए। और फिर, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही वह इस एक मामले से संबंधित अपनी पसंदगी को एक सिद्धांत का रूप देते हैं।

" संवैधानिक अवधारणाएँ, जिनसे पूरे राष्ट्र का भाग्य निर्देशित-निर्धारित होता है, ओलंपिक खेलों के कीर्तिमान नहीं है, जिन्हें समय-समय पर बनाया-तोड़ा जाता रहता है; बल्कि वे देश को समान मानव-विकास की ओर ले जाने के लिए तैयार किए गए विधि-सम्मत दंडोपाय हैं, जिन पर न्यायिक मुहर लगी है। जब तक मानवधिकारों की प्रगति में कोई बड़ी बाधा उत्पन्न न हो या संवैधानिक मूल सिद्धांतों का उल्लंघन न हो तब तक संवैधानिक अवधारणाओं के साथ वर्ग पहेली का खेल खेलना उसकी प्रभावशीलता को चोट पहुँचाने से कम नहीं है।"

मुझे लगता है कि जब तक मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो-इसी चेतावनी से यह सुविधा मिल गई है कि किसी एक मामले में बात को स्वीकार किया जा सके और दूसरे मामले में उसी बात को नकारा जा सके।

... शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का आह्वान

आयुर्वेद अपनाइये, कोरोना भगाइये।

मान्यवर,

हजारों वर्षों से परखी हुई भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद एवं योग पर आधारित कोविड-19 (कोरोना) महामारी से बचाव, उपचार एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा प्रबन्धन प्रोटोकॉल दिनांक 06.10.2020 को जारी किया गया है। यह प्रोटोकॉल राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद और योग के छः प्रतिष्ठित संस्थानों (AIIA, IPGTRA, NIA, CCRAS, CCRYN और अन्य राष्ट्रीय शोध संगठनों) के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है।

1. कोविड-19 से बचाव के उपाय :

A. सामान्य और शारीरिक उपाय : (i) शारीरिक दूरी, श्वसन और हाथ की स्वच्छता रखें, मास्क पहनें (ii) एक-एक चुटकी हल्दी और नमक के गर्म पानी से गरारे करें (iii) घर से बाहर जाने और वापस आने पर अणु तैल/षड्बिन्दु तैल/तिल तैल/नारियल तैल या गाय का घी नाक में डालें (iv) अजवाईन या पुदीना या नीलगिरि तैल के साथ दिन में एक बार भाप लेना (v) नींद 7-8 घंटे (vi) मध्यम शारीरिक व्यायाम तथा (vii) योग (प्राणायाम आदि) प्रोटोकॉल (संलग्नक-एक व दो) का पालन करें।

B. आहार सम्बन्धी उपाय: (i) अदरक या धनिया या तुलसी या जीरा डालकर उबला हुआ पानी पीएँ (ii) ताजा, गर्म, संतुलित आहार लें (iii) रात्रि में गोल्डन मिल्क (150 मिली गर्म दूध में तीन ग्राम हल्दी चूर्ण) लेवें (iv) आयुष काढ़ा दिन में एक बार लेवें।

C. उच्च जोखिम आबादी या सम्पर्कों में कोविड-19 से बचने के लिए: (i) अश्वगंधा का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से लें (ii) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मि.ग्रा.एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (iii) च्यवनप्राश 10 ग्राम गर्म पानी/दूध के साथ प्रति दिन लेवें।

2. लक्षण रहित कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार :

(I) गुडूची घनवटी/गिलोय घनवटी/संशमनी वटी का 500 मिलीग्राम एक्स्ट्रेक्ट या 1-3 ग्राम चूर्ण एक माह तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक गर्म पानी से दिन में दो बार (iii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

3. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का उपचार : (बुखार, थकान, सूखी खाँसी, गले में खरास, नाक बंद लेकिन श्वास फूलने से पहले)

(I) गुडूची + पिप्पली का जलीय एक्स्ट्रेक्ट 375 मिलीग्राम लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से (ii) आयुष-64 (500 मिलीग्राम) लगातार 15 दिनों तक दिन में दो बार गर्म पानी से लेवें।

4. हल्का कोविड-19 पोजिटिव मरीज का विशेष उपचार :

(I) शारीरिक दर्द/ सिरदर्द के साथ बुखार के लिए नागरादि कषाय (ii) खाँसी के लिए शहद के साथ सितोपलादि चूर्ण गले में खरास/स्वाद में कमी के लिए व्योषादि वटी (iii) थकान के लिए च्यवनप्राश (iv) हाइपोक्सिया के लिए वासावलेह (v) दस्त के लिए कुटज घनवटी और श्वास फूलने पर कनकासव भी संलग्नक-3 के अनुसार या आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श अनुसार ले सकते हैं।

5. कोविड-19 पश्चात् उपचार : (i) अश्वगंधा का एक्स्ट्रेक्ट 500 मिलिग्राम या चूर्ण 1-3 ग्राम एक माह तक गर्म पानी से दिन में दो बार (ii) च्यवनप्राश 10 ग्राम प्रतिदिन गर्म पानी/दूध के साथ एक बार (iii) रसायन चूर्ण एक माह तक प्रतिदिन शहद के साथ दो बार।

6. कोविड-19 की रोकथाम के लिए तथा कोविड-19 के बाद परिचर्या के लिए योग (प्राणायाम आदि) :

संलग्नक-1 एवं 2 में योग प्रोटोकॉल 45 मिनिट एवं 30 मिनिट की अलग-अलग सारणी में बताये गये हैं, इनकी नियमित पालना भी आवश्यक है।

नोट:- उपर्युक्त प्रोटोकॉल (तीनों संलग्नकों सहित) की विस्तृत जानकारी भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाईट पर एवं समता आंदोलन की वेबसाइट www.samtaandolan.co.in के होम पेज पर उपलब्ध है जिसका गम्भीरता से अवलोकन और पालन करेंगे तो शीघ्र ही भारत देश कोविड-19 से मुक्त हो जायेगा। कृपया आयुर्वेद एवं मानवता की सेवा के लिए इस पैम्फलेट को लगातार प्रचारित करते रहें। सादर।

निवेदक : समता आन्दोलन समिति (रजि.)

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in